आदेश पत्रक

न्यायालय उपजिलाधिकारी
मण्डल आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ तहसील लालगंज
वाद संख्या 02193/2020
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या [illegible]
रामराजी मुहराजी स्मारक जनसेवा न्यास ट्रस्ट [illegible] आदि
अंतर्गत धारा - 80, अधिनियम - उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ग्राम भवरचकभवतर द्वारा मुख्य ट्रस्टी [illegible] पुत्र पचदेव ग्राम भवरचकभवतर परगना बेलाबौलताबाद तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा वाद [illegible] अंतर्गत धारा 80 उ0प्र0रा0सं0 2006 बाबत आ0नं0523 रकबा0.80971हे0 में से रकबा0.8097हे0 व आ0 नं0523 [illegible] मौजा भवतरचकभवतर परगना बेलाबौलताबाद दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार लालगंज से [illegible] मंगाई गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा मौके की जाँचकर अपनी जाँच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जाँच आख्या दि0 01/07/2020 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0523 रकबा0.80971हे0 व आ0 नं0 523 रकबा 0.80971 हे0 कुल दो गाटा रकबा0.8097 पर वादी रामराजी महराजी स्मारक जनसेवा न्यास ग्राम भवतरचकभवतर द्वारा मुख्य ट्रस्टी ऋषिदेव पुत्र पचदेव [illegible] के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिसपर वादी द्वारा उक्त आ0नं0 के रकबा0.8097हे0 पर विद्यालय का भवन बना रहे हैं। जो गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती बोई नहीं जाती है। जो0 [illegible] 41, 45 में उक्त आ0 नं0 राज्य सरकार या ग्रामसभा की भूमि नहीं है। इस प्रकार आ0नं0 को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई। सहखातेदार तारकेश्वर व वादी की तरफ से शपथपत्र जरिए अधिवक्ता की पहचान पर प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पंजीकृत की गई। तथा वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क 47630रु0 व उद्घोषणा शुल्क 47630 रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों व तहसीलदार की आख्या का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0नं0 वादी की संक्रमणीय भूमिधरी है। खतौनी में आ0 नं0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी द्वारा रकबा0.8097हे0 पर विद्यालय का भवन निर्माण कराया जा रहा है। आ0नं0 मौके पर जोती बोई नहीं जाती है बल्कि मौके पर भवन आदि निर्मित हो रहा है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0नं0 के रकबा0.8097हे0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने मे कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम भवतरचकभवतर के वर्तमान खतौनी के आ0नं0523 रकबा 0.8097हे0 व आ0 नं0523 रकबा 0.80971 हे0 कुल रकबा0.8097हे0 लगान मु0 29.26रु0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। बाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

11/09/2020

(पंकजकुमार श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी
लालगंज आजमगढ़।

[illegible] १८४
[illegible]
[illegible] २४-०८-२०
[illegible] २६-०८-२०
[illegible] २६-०८-२०

TRUE COPY
READER
26-8-20

पृष्ठ संख्या :